ऑर्डर शीट नं. III

292

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.. / R 2624 III/14

पुनुआ पुत्र रामा गडडिया , उम्र 65 वर्ष
निवासी ग्राम अम्बाराटोरिया तहसील
पलेरा जिला टीकमगढ म.प्र. --- आवेदक

विरूद्ध

चिन्नीलाल पुत्र बूचा अहिरवार , निवासी
ग्राम टोरिया खास तहसील पलेरा जिला
टीकमगढ म. प्र. --- अनावेदक

श्री राम सेवक शर्मा अभि० द्वारा आज दि. 20-8-14 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 20-8-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 (क) नये संशोधन अधि 2011 (क) म.प्र. भू.रा.स. विरूद्ध आदेश दिनांक 30.6.14 द्वारा पारित तहसीलदार पलेरा प्र. क्र. 26 / अ 12 - 13 - 14 चिन्नी लाल विरूद्ध म.प्र. शासन के निर्णय से दुखी होकर ।

...शर्मा अभि०
...-8-14

श्रीमान जी,

आवेदक की निगरानी तथ्यो एवं आधारो पर निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह कि, आवेदक ग्राम टोरिया के सर्वे क्र. 1134/06 , 1136/2 टोटल रकबा 2.000 हे0 का भूमि स्वामी अधिकारी का पटटा तहसीलदार पलेरा द्वारा दि. 28.2.91 को आवेदक के हित में प्रदाय किया गया तब से आज दिनांक तक भूमि स्वामी की हैसियत से आवेदक द्वारा पटटे में वर्णित जमीन पर बांध बनाकर व मेहनत एवं श्रम से कृषि योग्य भूमि बनाई व अपने भूमि स्वामित्व की

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–2624–तीन/2014 जिला–टीकमगढ़

पुनुआ विरूद्ध चिन्नीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री रामसेवक शर्मा अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी तहसीलदार पलेरा, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 26/अ–12/2013–14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 11-3.19 सदस्य	